PP - BDM- 19

Form No-III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत उप जिला कलैक्टर श्री विजयनगर मुकाम

गुरदाससिंह बनाम धीसासिंह आदि

मुकदमा 251ए RTAct नम्बर 101 सन् 2016

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहम जो इस हुक्म की तामिल में जारी किये।
10.16	आज यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा स्वयं उपस्थित होकर पेश किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया जाकर पत्रावली दि० 14-10-2016 को पेश हो।	
14.10.16	पत्रावली पेश। प्रार्थी स्वयं उपस्थित। अप्रार्थीगण की ओर से वकील द्वारा प्रार्थना पत्र मय अप्रार्थीगण 1 ता 5 की ओर से शपथ पत्र पेश किया जो पत्रावली पर [illegible] हो। पत्रावली वास्ते जवाब [illegible] के लिए 17/10/2016 को पेश हो।	धीसा सिंह
12/10/16	पत्रावली पेश हुई। पटवारी हल्का की रिपोर्ट प्राप्त शामिल मिसल की। पत्रावली वास्ते [illegible] तलब हो। दिनांक 28/12/16 को पेश हो।	
28/12/16	पत्रावली पेश हुई। [illegible] का जवाब पेश हुआ जो शामिल मिसल हो। पत्रावली वास्ते बहस हो। दिनांक 12/01/17 को पेश हो।	
12/01/17	पत्रावली पेश हुई। [illegible] प्रार्थी का [illegible] स्वीकार किया जाता है। [illegible] शामिल मिसल हो। पत्रावली [illegible] दाखिल दफ्तर हो।	

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी - श्री बनवारी लाल आर.ए.एस.

अनवान -

1. गुरदास सिंह पुत्र श्री बूटा सिंह जाति रामगढ़िया निवासी झण्डावाली हाल निवास 43 जी.बी. तहसील श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर (राज.)

.....प्रार्थी.....

बनाम-

1. घीला सिंह पुत्र बिहारी सिंह कौम मेघवाल रामदासिया निवासी झण्डावाली
2. कलवन्त कौर पुत्री बिहारी सिंह कौम मेघवाल रामदासिया निवासी झण्डावाली
3. बलजीत कौर पुत्री बिहारी सिंह कौम मेघवाल रामदासिया निवासी झण्डावाली
4. जसविन्द्र कौर पुत्री बिहारी सिंह कौम मेघवाल रामदासिया निवासी झण्डावाली
5. छिन्द्र पाल कौर पुत्री बिहारी सिंह कौम मेघवाल रामदासिया निवासी झण्डावाली
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व श्री विजयनगर।

.....अप्रार्थीगण.....

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम)

प्रकरण संख्या - 101/2016 निर्णय दिनांक - 12/01/17

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है :-

प्रार्थी के नाम वाके चक 43 जी.बी. तहसील श्री विजयनगर के मुरब्बा नं. 40 पत्थर नं. 193/446 का किला नं. 14, 15, 16, 17, 18, 24, 25 का 1.455 है. नाली दोयम व पत्थर नं. 192/446 मुरब्बा नं. 41 का किला नं. 1 से 10, 15/2 का 2.530 है. नाली दोयम कुल 3.985 है. नाली दोयम कृषि भूमि है। एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 के नाम से चक 5 ए.एस.(ए) का मुरब्बा नं0 24 पत्थर नं. 193/447 का किला नं. 1 से 20, 23 से 25 का कुल 5.819 है. कमाण्ड/अनकमाण्ड खाला भूमि दर्ज है। प्रार्थी उक्त रकबा पर लगातार निरन्तर रूप से काबिज काश्त हैं। प्रार्थी के उक्त रकबा के लिए वर्तमान में कोई स्वीकृत शुदा रास्ता नहीं है। जिसके कारण प्रार्थी को अपने रकबा में प्रवेश करने, काश्त करने, कृषि औजारों को लाने ले जाने में भारी असुविधा हो रही हैं। प्रार्थी वर्तमान में अप्रार्थीगण के रकबा चक 5 ए.एस.(ए) का मुरब्बा नं. 24 पत्थर नं. 193/447 का किला नं. 5, 6, 15, 16, 25 प्रत्येक में 12-12 फुट रास्ता का उपयोग कर रहा है। यह रास्ता ही प्रार्थी के रकबा में आने जाने व कृषि औजारो को लाने ले जाने के लिए सुगम रास्ता है जिसे प्रार्थी स्वीकृत करवाना चाहता है। जिसके लिए अप्रार्थीगण भी उक्त वर्तमान में चल रहे रास्त को स्वीकृत करवाने के लिए सहमत है। रास्ता में आने वाली भूमि के बदले में अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 ने नगद प्रतिफल प्रार्थी से प्राप्त कर लिया है। इसलिए अप्रार्थीगण को उक्त रास्ता को आम रास्ता के रूप में स्वीकृत करने पर कोई क्षति असुविधा नही है।

लगातार... उप. जिला कलेक्टर
श्री विजयनगर

Scanned by CamScanner

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश कर अर्ज है कि प्रार्थी के रकबा चक 5 ए.एस.(ए) का मुरब्बा नं. 24 पत्थर नं. 193/447 का किला नं. 5, 6, 15, 16, 25 प्रत्येक में 12-12 फुट भूमि को रास्ता आम के रूप में दर्ज करने के आदेश प्रदान करे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया जाकर सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया गया। राजपैरोकार ने अपना जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी गुरदास सिंह पुत्र बुटा सिंह के नाम से चक 43 जी.बी. के मु.नं. 40 प.नं. 193/446 के किलां न. 14 ता 18, 24, 25 का 1.455 है., मु.नं. 41 का किला नं. 1 ता 10 व 15/2 का 2.530 है. कुल 3. 985 है. रकाब व अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 के नाम चक 5 ए.एस.(ए) का मु.नं. 24 प.नं. 193/447 के किला नं. 1 ता 20 व 23 ता 25 कुल 5.819 है. रकबा है। प्रार्थी अप्रार्थी के रकबा चक 5 ए.एस.(ए) का मु.न. 24 प.नं. 193/447 के किला नं. 5, 6, 15, 16, 25 में प्रत्येक में 12-12 फुट का रास्ता उपयोग कर रहा है। प्रार्थी उक्त चक 5 ए.एस.(ए) के मु.नं. 24 किला नं. 5, 6, 1,5, 16, 25 प्रत्येक किला में 12-12 फुट रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है। अप्रार्थीगण ने उक्त रकबा का नगद प्रतिफल प्राप्त कर लिया है। अतः उक्त किला नं. 5, 6, 15, 16, 25 में रास्ता स्वीकृत किया गया तो उचित है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 की और से अप्रार्थी संख्या 1 घीला सिंह ने स्वयं अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 की ओर से अप्रार्थी संख्या 1 घीला सिंह उपस्थित आया और अपना आवेदन प्रस्तुत कर प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता स्वीकृत करने हेतु अपनी सहमति प्रदान की व अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 द्वारा दिया गया शपथ पत्र (सहमति पत्र) भी प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत किया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन करने पर पाया कि प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में आने जाने के लिए कोई अन्य रास्ता उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में चक 5 ए.एस.(ए) का मुरब्बा नं. 24 पत्थर नं. 193/447 का किला नं. 5, 6, 15, 16, 25 प्रत्येक में 12-12 फुट भूमि ही प्रार्थी के रकबा में आने जाने के लिए सबसे सुगम रास्ता है इसलिए उक्त रास्ता को रास्ता आम के रूप में स्वीकृत किया जाना न्यायोचित पाता हूँ।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) आर.टी.एक्ट. स्वीकार किया जाकर चक 5 ए.एस.(ए) का मुरब्बा नं. 24 पत्थर नं. 193/447 का किला नं. 5, 6, 15, 16, 25 प्रत्येक में 12-12 फुट भूमि को रास्ता आम के रूप में स्वीकृत किया जाता है। तहसीलदार राजस्व श्री विजयनगर को निर्देश दिये जाते है कि प्रार्थी द्वारा रास्ता चाहे जाने पर उक्त रास्ते में आदेशानुसार पारित होने वाली भूमि की भली भाति पैमाईश की जाकर रास्ते की भूमि

लगातार.....3

उप जिला कलेक्टर
श्री विजयनगर

Scanned by CamScanner

का मौके पर चिन्हीकरण करवाये। तथा राजस्व रिकॉर्ड में रास्ते का अलमदरामद करे। एवं रास्ते के सार्वजनिक उपयोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक ...12/01/17... को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बनवारी लाल)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Scanned by CamScanner